

प्रेस नोट

जनपद-सोनभद्र

दिनांक-16.08.2022

थाना करमा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/कुख्यात पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.08.2022 को थाना करमा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 112/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बंधित वांछित अभियुक्त डॉक्टर उर्फ मैसुद्दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी ग्राम खुटहनिया, थाना करमा, जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना करमा/रायपुर पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- डॉक्टर उर्फ मैसुद्दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी ग्राम खुटहनिया, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।

अभियुक्त डॉक्टर उर्फ मैसुद्दीन का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-71/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
2. मु०अ०सं०-168/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
3. मु०अ०सं०-171/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
4. मु०अ०सं०-191/2015 धारा 452, 323, 504, भादवि, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
5. मु०अ०सं०-11/2016 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
6. मु०अ०सं०-241/2016 धारा 3(1) 30प्र० गैंगेस्टर एक्ट, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
7. मु०अ०सं०-44/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
8. मु०अ०सं०-74/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।
9. मु०अ०सं०-08/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उप निरीक्षक विमलेश सिंह, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
- 2- मुख्य आरक्षी मुरलीधर राय, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।